न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–138 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या–402 / 2025
अंतर्गत धारा–137(2), 96, 126(2), 115(2), 351 बीएनएस

18.03.2026 याचिकाकर्ता 1. जुगल यादव उर्फ जुगल प्रसाद उर्फ जुगस गोप 2. मंजू देवी 3. राम लखन यादव उर्फ राम लखन कुमार एवं 4. रंजन देवी की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 09.02.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार तथा अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि अंतर्गत धारा–137(2), 96, 126(2), 115(2), 351 बीएनएस से संबंधित मोकामा थाना कांड संख्या 402 / 2025, दिनांक 17.10. 2025, के नामित अभियुक्तगण हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं, इनके द्वारा कोई अपराध–कारित नहीं किया गया है बल्कि इनको फंसाने के लिए गलत और झूठा मुकदमा लाया गया है। जिस जगह की घटना बताई जा रही है, वहां वैसी कोई घटना नहीं घटी है। आवेदकगण से लक्ष्मण कुमार अलग रहता है और इस धारा से उनका कोई मतलब नहीं है। इस वाद में आवेदकगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण को जमानत का लाभ किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हैं तथा आगे कहते हैं कि आवेदकगण एक नाबालिक लड़की को गलत नियत से भगाने में लक्ष्मण का साथ दिए हैं।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन घटना संक्षेप में यह है कि इस वाद की सूचिका–संजू देवी की लड़की–कविता कुमारी हैं, जिसकी उम्र–13 वर्ष है, वह पढ़ने के लिए अपने घर से गई थी। जब वह शाम में वापस नहीं आई तो उसकी खोजबीन की गई। उसी क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि उसका दामाद–लक्ष्मण कुमार मोटरसाइकिल लेकर आया था, वह गलत नियत से उसे बहला–फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया है। वह अपनी बेटी को खोजते हुए अपने बड़े दामाद–लक्ष्मण कुमार के घर पहुंची तो जुगल यादव, मंजू देवी, रामलखन यादव, रामलखन की पत्नी इन सभी लोग इनके साथ गाली–गलौज करने लगे। सूचिका के द्वारा जब यह कहा गया कि आपका लड़का शादी–शुदा है तथा जब वह मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लिया है, तब मेरी नाबालिक बेटी को लेकर क्यों भाग गया। इस पर सभी लोग बोलने लगे कि जो दूसरी बेटी को लेकर भागा है उससे भी शादी करेगा। जो करना है, सो करो। इन लोगों के सहयोग से ही उसकी दूसरी लड़की को उसका दामाद लेकर

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–138 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या–402 / 2025
अंतर्गत धारा–137(2), 96, 126(2), 115(2), 351 बीएनएस

लगातार

18.03.2026

भाग गया है। सूचिका ने अपनी बड़ी लड़की की शादी विगत् पांच वर्ष पहले लक्ष्मण कुमार से की थी जिसका मोबाइल नंबर–6299460755 है।

कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादिनी का पुनः, ब्यान है जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–7 में साक्षी–राजेश राय, कंडिका–8 में साक्षी– राजपति राय का ब्यान है, इन सभी साक्षियों ने अपने ब्यान में कहा है कि लक्ष्मण कुमार सूचिका का दामाद है, वह अपने मोटरसाइकिल से आया और कबिता कुमारी को गलत नियत से कहीं बहला–फुसलाकर लेकर चला गया। इसमें उसके घर वाले अर्थात् लक्ष्मण कुमार के पिता, मां, भाई एवं भाई की पत्नी के सहयोग किया है तथा इनलोगों के सहयोग से ही लक्ष्मण, कबिता कुमारी लेकर भाग गया है जोकि गलत नियत से ले जाया गया है।

अपहृता की काफी खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिली है। आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण हैं, इनके विरूद्ध नाबालिक लड़की जिसका उम्र–13 वर्ष है उसे गलत नियत से अपहरण में सहयोग करने का आरोप है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए को आवेदक अभियुक्तगण–1. जुगल यादव उर्फ जुगल प्रसाद उर्फ जुगस गोप 2. मंजू देवी 3. राम लखन यादव उर्फ राम लखन कुमार एवं 4. रंजन देवी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, प्रस्तुत जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़